न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी श्री महेन्द्र लोढ़ा

अपील संख्या 141/18 तारीख रज्जू– 14.07.17

अशोक कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री गिर्राज प्रसाद आयु 50 साल जाति महाजन निवासी बालमन्दिर कालोनी सवाई माधोपुर। –अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सवाई माधोपुर। –रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 31.7.19

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा मिसल संख्या 1166 में पारित निर्णय दिनांक 15/02/2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम जटवाड़ा खुर्द के आराजी ख0नं0 658 रकबा 0.08 है0 किस्म सिवायचक पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि तहसीलदार सवाई माधोपुर के पत्र दिनांक 12/12/18 के संलग्न मूल फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार खं0नं0 658 गै0मु0नाला सिवायचक दर्ज है तथा मौके पर भूमि खाली है। वर्तमान में अतिक्रमण नहीं है। उक्त क्रम में तहसीलदार सवाई माधोपर ने अपने पत्र दिनांक 12/12/18 द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा संयुक्त रूप से उक्त वाद आराजीयात के सीमाज्ञान की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त वाद आजीयात खाली होना व वर्तमान में अतिक्रमण नहीं होना बताया गया है, साथ ही तहसीलदार सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 15/2/2011 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त की जावे।

उभय पक्षों की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु धारा 91(3) को नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचार होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पटवारी हल्का की रिपोर्ट शामिल है। लेकिन अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व अतिक्रमण संबंधित कोई रिपोर्ट एवं निर्णय संलग्न नहीं है। जिससे अपीलान्ट को पूर्व अतिक्रमी माना जा सके, साथ ही भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा संयुक्त रूप सीमाज्ञान की रिपोर्ट के अनुसार उक्त वाद आजीयात खाली होना व वर्तमान में अतिक्रमण नहीं होना बताया गया है,

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 15/02/2011 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.7.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर